सत्यमेव जयते

## राजस्थान सरकार
## कार्मिक (क–1) विभाग

क्रमांकःप.9(61)कार्मिक/क–1/76 जयपुर, दिनांकः 4 MAY 2022

**–:परिपत्रः–**

कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.9(61)कार्मिक/क–1/76 दिनांक 28.02.2004 एवं संशोधित आदेश दिनांक 22.08.2006 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय/आवास पर कार्यरत UDC/LDC, Attendant/Cook/Helper/Class IV/Driver तथा माननीय मंत्रियों/राज्यमंत्रियों/उप मंत्रियों/संसदीय सचिवों के कार्यालयों में विशिष्ट सहायक/निजी सचिव/निजी सहायक की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति तथा संविदा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किए गए है।

विभाग के परिपत्र दिनांक 16.12.2015 के अनुसार निगमों/बोर्डो/आयोगों में नव नियुक्त अध्यक्षगण/उपाध्यक्षगण/आयुक्त, जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है, के स्टाफ नियुक्ति के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

इस संबंध में निगमों, बोर्डो, आयोगों आदि में नवनियुक्त अध्यक्षगण/उपाध्यक्षगण/आयुक्त/सभापति आदि, जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है को प्रशासनिक विभाग द्वारा कार्यालय स्टाफ उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया को सरल करने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. निगमों, बोर्डो, आयोगों आदि में नवनियुक्त अध्यक्षगण/उपाध्यक्षगण/आयुक्त/सभापति आदि, जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है, को उनकी पात्रता के अनुसार कार्यालय स्टाफ संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध/नियुक्त किया जाए। पात्रता के अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति पश्चात् सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाए।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह०

**(हेमन्त कुमार गेरा)**
**प्रमुख शासन सचिव**

**प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित हैः–**

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
4. समस्त निगमों/बोर्डो/आयोगों में नियुक्त अध्यक्षगण/उपाध्यक्षगण/आयुक्तगण।
5. विशिष्ट सहायक/ निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/संसदीय सचिवगण।
6. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. कार्मिक (क–4/1),(क–4/2), (ख–1), (ख–2) व (ख–3) विभाग।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

**(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)**
**संयुक्त शासन सचिव**